समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्‌यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (10)/2017/1317 दिनांक :– 9 OCT 2017

प्रति,
कार्य-परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 04.10.2017 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 04–10–2017 के कार्य विवरण की एक प्रति मय परिशिष्ट में आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य–विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

संलग्न : यथोपरि

(हस्ताक्षर)
कुलसचिव

aruna/mi/covering lette-15

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक बुधवार दिनांक 4.10.2017 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की गई। स्थगित बैठक 10 मिनट पश्चात् प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री चन्द्रशेखर रायकवार	सदस्य
3.	डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी	सदस्य
4.	श्री एस.के. परमार, संयुक्त–संचालक, कोष एवं लेखा प्रतिनिधि, वित्त विभाग	सदस्य
5.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
6.	श्रीमती रागिनी मक्खर	सदस्य
7.	श्री प्रज्वल खरे, प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	प्रो. मोहन लाल छीपा	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/ प्रतिनिधि	सदस्य
3.	डॉ.(श्रीमती) पुष्पलता केसरी	सदस्य
4.	डॉ.(श्रीमती) सुनीता चन्द्रा	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.:1: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2017 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2017 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.3.8.2017 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि निम्नांकित संशोधनों के साथ की जावे :

(अ) विषय क्र.1(अ) में लिए गए निर्णय को निम्नानुसार पढ़ा जाए :
"निर्णय लिया कि कुलसचिव के निज सहायक को अनुविभागीय अधिकारी के समकक्ष पद के वेतनमान के समान छठे वेतनमान रू.9300–34800 के साथ 4200/–ग्रेड पे प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।"

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

(ब) विषय क्र.36 के पश्चात् विषय क्र.37 निम्नानुसार जोड़ा जाए :
"विषय क्र.37: डॉ.जी.एल. प्रजापति एवं डॉ. रत्नेश गुप्ता के असाधारण अवकाश अवधि को कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति हेतु मान्य किए जाने बाबत् गठित समिति की अनुशंसाओं पर विचार।

निर्णय लिया कि डॉ.जी.एल. प्रजापति एवं डॉ. रत्नेश गुप्ता के असाधारण अवकाश अवधि को कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत पदोन्नति हेतु मान्य किए जाने बाबत् गठित समिति की अनुशंसाएं मान्य की गई।"

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:2: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2017 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बाबत्।

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2017 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

विषय क्र.:3: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.8.2017 के कार्य–विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 22.8.2017 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.8.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:4: चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति का पुनर्गठन किए जाने बाबत्।

निर्णय लिया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति समिति के अध्यक्ष हेतु श्रीमती गीता मरकाम, माननीया कार्य–परिषद् का मनोनयन किया जाता है।

(कार्यवाहीः लेखा विभाग)

विषय क्र.:5: वर्ष 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/ प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र/ छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति के गठन पर विचार।

निर्णय लिया कि वर्ष 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/ प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र/ छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति में डॉ. ममता चन्द्रशेखर, माता जीजाबाई शासकीय कन्या महाविद्यालय, मोती तबेला, इन्दौर का मनोनयन किया जाता है।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:6: श्रीमती नीलिमा करंकार, व्याख्याता, आई.ई.टी. के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि श्रीमती नीलिमा करंकार, व्याख्याता, आई.ई.टी. को दिनांक 15.7.2017 से दिनांक 30.10.2017 तक (कुल 108 दिन) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:7: श्रीमती माधवी जंगलवा, वरिष्ठ व्याख्याता, आई.ई.टी. के दिनांक 30.10.2017 से दिनांक 28.4.2018 तक 6 माह के अध्ययन अवकाश स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि श्रीमती माधवी जंगलवा, वरिष्ठ व्याख्याता, आई.ई.टी. के दिनांक 30.10.2017 से दिनांक 28.4.2018 तक 6 माह के अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:8: छात्रावास शुल्क में की गई बढ़ौत्री बाबत्।

परिषद् ने छात्रावास शुल्क में की गई बढ़ौत्री के संबंध में समस्त छात्रावासी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक 19.9.2017 का अवलोकन किया एवं पूर्व में लिए गए निर्णय को मान्य करते हुए तद्नुसार राशि प्राप्त की जाए।

(कार्यवाहीः चीफ वार्डन)

विषय क्र.:9: वर्ष 2009 में नियमित किए गए 9 सहायक ग्रेड–तीन कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करने बाबत्।

निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र दिनांक 29.9.2014 के आदेश में उल्लेखित कंडिका–5.5 के परन्तुक अनुसार एवं दिनांक 26.6.2017 को प्राप्त विधिक परामर्श के अनुसार वर्ष 2009 में नियमित किए गए 9 सहायक ग्रेड–तीन कर्मचारियों को वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:10: पी–एच.डी./डी.लिट् उपाधि प्रदान करने बाबत् कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।

निर्णय लिया कि शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किए जाने की अनुशंसानुसार दि.18.8.2017 से दि.11.9.2017 तक कुल 77 शोधार्थियों को संबंधित विषय एवं संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाही: गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:11: डॉ.अजीत सिंह सेहरावत, तत्कालीन कुलपति के कार्यकाल में वर्ष 2009 में पदोन्नत शिक्षक द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि एवं सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के संबंध में।

निर्णय लिया कि डॉ. एच.आर. पाल, सेवा–निवृत्त आचार्य, शिक्षा अध्ययशाला द्वारा दायर याचिका क्र.WP 2971/2017(एस) एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.7.2017 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाए एवं कुलाधिपति सचिवालय को भी विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं न्यायालयीन निर्णय से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:12: वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.9.2017 के कार्य–विवरण पर विचार।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.9.2017 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि वित्त समिति की बैठक दिनांक 27.9.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गईं।

(कार्यवाही: लेखा विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क्र.:13: डॉ. अजय कुमार जैन, वरिष्ठ व्याख्याता, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् (स्ववित्त) को दिनांक 27.9.2017 से 26.9.2018 तक एक वर्ष के असाधारण अवकाश स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि डॉ. अजय कुमार जैन, वरिष्ठ व्याख्याता, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् (स्ववित्त) को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्य–ग्रहण करने हेतु दिनांक 27.9.2017 से 26.9.2018 तक एक वर्ष के असाधारण अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। (कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:14(1): अंकुर समता परिसर की ड्रेनेज लाईन नगर पालिक निगम द्वारा डाले जाने हेतु जन–सहयोग राशि बाबत्।

निर्णय लिया कि अंकुर समता परिसर की ड्रेनेज लाईन नगर पालिक निगम द्वारा डाले जाने हेतु जन–सहयोग राशि रू.8.07 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई। (कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

विषय क्र.:14(2):. जे.सी. बसु छात्रावास परिसर से क्रिस्टल पार्क तक टेंचलेस डेनेज लाईन नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा डाले जाने हेतु स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत व्यय विश्वविद्यालय द्वारा वहन करने बाबत् (अनुमानित राशि रू.74.14 लाख है)।

निर्णय लिया कि जे.सी. बसु छात्रावास परिसर से क्रिस्टल पार्क तक टेंचलेस डेनेज लाईन नगर पालिक निगम इन्दौर द्वारा डाले जाने हेतु स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत राशि रू.37.07 लाख नगर पालिक निगम इन्दौर को दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः यात्रिकी विभाग)

विषय क्र.:15: माननीय औद्योगिक न्यायालय के प्रकरण द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्र.WP/725/15(S) पर प्राप्त विधिक परामर्श/सलाह पर विचार।

माननीय औद्योगिक न्यायालय के प्रकरण द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्र.WP/725/15(S) पर वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. सेठी से प्राप्त विधिक परामर्श का सील्ड लिफाफा कार्य–परिषद् के समक्ष खोला गया एवं उसका वाचन किया गया। वाचन उपरान्त निर्णय लिया कि विधिक सलाह अनुसार कार्यवाही की जाए।

यह भी निर्णय लिया कि स्व–वित्त कर्मचारियों को देय एरियर की राशि अंतरिम रूप से पूर्व में दिए गए शपथ–पत्र के आधार पर चार किश्तों में प्रदान की जाए एवं इसकी प्रथम किश्त दीपावली के पूर्व प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:16: <u>विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18.9.2017 के कार्य–विवरणों पर विचार।</u>

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 18.9.2017 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.9.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:17: <u>आई.ई.टी. में प्रति घण्टे पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु गठित समिति की अनुशंसा पर विचार।</u>

निर्णय लिया कि आई.ई.टी. में प्रति घण्टे पर कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि हेतु गठित समिति की अनुशंसाएं मान्य की गईं।

(कार्यवाहीः आई.ई.टी.)

विषय क्र.:18: <u>अंतर जिला/ विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव–2017 के आयोजन हेतु गठित भोजन व्यवस्था समिति द्वारा चाय, नाश्ता एवं भोजन के लिए अनुशंसित प्रस्तावित दरों की स्वीकृति बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि अंतर जिला/ विश्वविद्यालय स्तरीय युवा उत्सव–2017 के आयोजन हेतु गठित भोजन व्यवस्था समिति द्वारा चाय, नाश्ता एवं भोजन के लिए अनुशंसित प्रस्तावित दरों की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः छात्र कल्याण विभाग)

विषय क्र.:19: <u>टैगोर शिक्षा महाविद्यालय, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि टैगोर शिक्षा महाविद्यालय, इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 1.8.2017 में अनुशंसित डॉ.दीपा जैन की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:20: <u>आय.पी.एस. एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।</u>

निर्णय लिया कि आय.पी.एस. एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड रिसर्च, इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 26.9.2017 में अनुशंसित डॉ. विवेक सिंह कुशवाह की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:21: **देवी रूक्मणी महाविद्यालय, खरगोन में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।**

निर्णय लिया कि देवी रूक्मणी महाविद्यालय, खरगोन में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 16.8.2017 में अनुशंसित डॉ. इम्तियाज़ मन्सूरी की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:22: **डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, बुरहानपुर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।**

निर्णय लिया कि डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, बुरहानपुर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 8.7.2017 में अनुशंसित डॉ.(श्रीमती) निखत अफरोज़ की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:23: **महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2017 में लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय तथा शासी निकाय के प्रतिनिधियों से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार।**

परिषद् द्वारा के शासी निकाय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों एवं महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 5.5.2017 में अनुशंसित डॉ.दशरथ सिंह चौहान की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:24: **इंदौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इन्दौर में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2017 में लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय तथा शासी निकाय/ अन्य से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार।**

परिषद् द्वारा के शासी निकाय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों एवं महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया एवं डॉ. रीता जैन, प्राचार्य का पदत्याग का पत्र प्राप्त होने से नियुक्ति अमान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:25: **विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में आय–बाईक स्टेशन स्थापित करने बाबत्।**

निर्णय लिया कि प्रोग्रेसिव टूर्स एंड ट्रेवल्स प्रा.लि., भोपाल द्वारा विश्वविद्यालय के आय.एम.एस पार्किंग क्षेत्र, आय.आय.पी.एस. संस्थान् के पास, ऑडिटोरियम पार्किंग क्षेत्र एवं तक्षशिला परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार के पास में आय–बाईक स्टेशन स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः प्रभारी, तक्षशिला परिसर)

विषय क्र.:26: **विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 29.9.2017 के कार्य–विवरणों पर विचार।**

परिषद् द्वारा विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 29.9.2017 के कार्य–विवरणों का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 29.9.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः विकास विभाग)

विषय क्र.:27: **विश्वविद्यालय के दिवंगत वेतन भोगी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति बाबत्।**

निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31.8.2016 एवं दिनांक 21.3.2017 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर लागू होंगे अथवा नहीं इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से निर्देश प्राप्त किए जाएं।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्रीय गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–
(श्री प्रज्वल खरे)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव

हस्ता/–
(डॉ. एन.के. धाकड़)
कुलपति/ अध्यक्ष